



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062020-219995
CG-DL-E-18062020-219995

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 206]
No. 206]

नई दिल्ली, बृस्पतिवार, जून 18, 2020/ज्येष्ठ 28, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2020/JYAISHTHA 28, 1942

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(भारतीय मानक ब्यूरो)

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2020

संदर्भ: पब/3/4/2020-21 (15).— भारतीय मानक ब्यूरो नियम 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिये गये मानक (को) में संशोधन किया गया/किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष एवं शीर्षक	संशोधन की संख्या और तिथि	कॉलम (3) के संशोधन की प्रतिस्थापन तिथि	वह तिथि, जब तक मानक कॉलम (3) में दर्शाई गए संशोधन के बिना लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आई एस 5557 (भाग 2) : 2018 पुरे रबर के गम जूते एवं ऐंकल जूते भाग 2 व्यवसाय हेतु	संशोधन संख्या 1 जून 2020	3 जून 2020	2 दिसम्बर 2020

2.	आई एस 5672 : 1992 कुक्कुट आहार के संपूरक खनिज मिश्रण – विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 2 जून 2020	3 जून 2020	2 दिसम्बर 2020
3.	आई एस 13334 (भाग 1) : 2014 मलाईरहित दूध पाउडर – विशिष्टि भाग 1 मानक ग्रेड (दूसरा पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 2 जून 2020	3 जून 2020	2 सितम्बर 2020
4.	आई एस 13334 (भाग 2) : 2014 मलाईरहित दूध पाउडर – विशिष्टि भाग 2 अतिरिक्त ग्रेड (पहला पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 2 जून 2020	3 जून 2020	2 सितम्बर 2020
5.	आई एस 14490 : 2018 सादा कॉपियर कागज – विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 1 जून 2020	3 जून 2020	2 सितम्बर 2020

इस भारतीय संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय कार्यालयों: नई दिल्ली, कोलकता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई, तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, नागपुर, कानपुर, पटना, पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। भारतीय संशोधनों को <http://www.standardsbis.in> द्वारा इंटरनेट पर खरीदा जा सकता है।

जे. राय चौधरी , वैज्ञा—जी एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण - पी एवं एम)
[विज्ञापन-III/4/असा./75/2020-21]

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

(BUREAU OF INDIAN STANDARDS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2020

Ref: PUB/3/4/2020-21 (15).—In pursuance of sub-rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendments to the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been issued:

THE SCHEDULE

Sl. No.	No. , Year and Title of the Indian Standards	No. and Year of the Amendment	Date of Establishment of the Amendment at column (3)	Date till which the Standard without Amendment as mentioned at Column (3) shall remain in force
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IS 5557 (Part 2) : 2018 All Rubber Gum Boots and Ankle Boots Part 2 Occupational Purposes	Amendment No. 1 June 2020	3 June 20	2 Dec 20

2.	IS 5672 : 1992 Mineral Mixtures For Supplementing Poultry Feeds — Specification (First Revision)	Amendment No. 2 June 2020	3 June 20	2 Dec 20
3.	IS 13334 (Part 1) : 2014 Skimmed Milk Powder Specification Part 1 Standard Grade (Second Revision)	Amendment No. 2 June 2020	3 June 20	2 Sep 20
4.	IS 13334 (Part 2) : 2014 Skimmed Milk Powder Specification Part 2 Extra Grade (First Revision)	Amendment No. 2 June 2020	3 June 20	2 Sep 20
5.	IS 14490 : 2018 Plain Copier Paper Specification (First Revision)	Amendment No. 1 June 2020	3 June 20	2 Sep 20

Copy of these Amendments are available for sale with the Bureau of Indian Standards ,Manak Bhavan,9 Bahadur Shah Zafar Marg ,New Delhi-110002 and Regional Offices: New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Nagpur, Kanpur, Patna,Pune,Kochi.Online purchase of Indian Amendments can be made at <http://www.standardbis.in>.

J.ROY CHOWDHURY, Sc-G & DDG(Std. — P & M).
[ADVT.-III/4/Exty./75/2020-21]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2020

संदर्भ: पब/3/4/2020-2021 (16).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिये गये मानक(को) में संशोधन किया गया/किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष एवं शीर्षक	संशोधन की संख्या और तिथि	कॉलम (3) के संशोधन की प्रतिस्थापन तिथि	वह तिथि, जब तक मानक कॉलम (3) में दर्शाई गए संशोधन के बिना लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आई एस 8034 : 2018 निमज्जनीय पम्पसेटस – विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 1, जून 2020	3 जून 2020	2 जून 2021

इस भारतीय संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय कार्यालयों: नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई, तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, पटना, कानपुर, नागपुर पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। भारतीय संशोधनों को <http://www.standardsbis.in> द्वारा इंटरनेट पर खरीदा जा सकता है।

जे. राय चौधरी, वैज्ञा-जी एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण – पी एवं एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./75/2020-21]

NOTIFICATION

New Delhi, Dated: 5 June 2020

Ref: PUB/3/4/2020-2021 (16).—In pursuance of sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendments to the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been issued:

THE SCHEDULE

Sl. No.	No. , Year and Title of the Indian Standards	No. and Year of the Amendment	Date of Establishment of the Amendment at column (3)	Date till which the Standard without Amendment as mentioned at Column (3) shall remain in force
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IS 8034 : 2018 Submersible Pumpsets Specification (Third Revision)	Amendment No.1 June 2020	3 June 20	2 June 2021

Copy of these Amendments are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices: New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Nagpur, Kanpur, Patna, Pune, Kochi. Online purchase of Indian Amendments can be made at <http://www.standardbis.in>.

J. ROY CHOWDHURY, Sc-G & DDG(Stdn.—P & M)

[ADVT.-III/4/Ext./75/2020-21]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2020

संदर्भ: पब/3/4/2020-2021 (17).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिये गये मानक(को) में संशोधन किया गया/किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष एवं शीर्षक	संशोधन की संख्या और तिथि	कॉलम (3) के संशोधन की प्रतिस्थापन तिथि	वह तिथि, जब तक मानक कॉलम (3) में दर्शाई गए संशोधन के बिना लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आई एस 15573 : 2018 पालीएल्यूमीनियम क्लोराइड (पहला पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 1, जून 2020	3 जून 2020	2 दिसम्बर 2020
2.	आई एस 15623 : 2005 मेलेमाइन (2,4,6 ट्राईएज़ीन) – विशिष्टि	संशोधन संख्या 1, जून 2020	3 जून 2020	2 सितम्बर 2020

इस भारतीय संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय कार्यालयों: नई दिल्ली, कोलकता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई, तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, पटना, कानपुर, नागपुर पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। भारतीय संशोधनों को <http://www.standardsbis.in> द्वारा इंटरनेट पर खरीदा जा सकता है।

जे. राय चौधरी, वैज्ञा-जी एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण – पी एवं एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./75/2020-21]

NOTIFICATION

New Delhi, the 5 June, 2020

Ref: PUB/3/4/2020-2021 (17).—In pursuance of sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendments to the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been issued:

THE SCHEDULE

Sl. No.	No. , Year and Title of the Indian Standards	No. and Year of the Amendment	Date of Establishment of the Amendment at column (3)	Date till which the Standard without Amendment as mentioned at Column (3) shall remain in force
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IS 15573 : 2018 Polyaluminium Chloride (First Revision)	Amendment No.1 June 2020	3 June 20	2 Dec 20
2.	IS 15623 : 2005 Melamine (2,4,6 Triamino 1,3,5 Triazine) — Specification	Amendment No.1 June 2020	3 June 20	2 Sep 20

Copy of these Amendments are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices: New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Nagpur, Kanpur, Patna, Pune, Kochi. Online purchase of Indian Amendments can be made at <http://www.standardbis.in>.

J. ROY CHOWDHURY, Sc-G & DDG(Stdn.—P & M)
[ADVT.-III/4/Exty./75/2020-21]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2020

संदर्भ: पब/3/4/2020-21 (18).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिये गये मानक (को) में संशोधन किया गया/किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष एवं शीर्षक	संशोधन की संख्या और तिथि	कॉलम (3) के संशोधन की प्रतिस्थापन तिथि	वह तिथि, जब तक मानक कॉलम (3) में दर्शाई गए संशोधन के बिना लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आई एस 4151 : 2015 दुपहिया वाहन चालकों के लिए संरक्षी हेल्मेट (चौथा पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 2 जून 2020	5 जून 2020	4 सितम्बर 2020

इस भारतीय संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय कार्यालयों: नई दिल्ली, कोलकता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई, तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, नागपुर, कानपुर, पटना, पूणे तथा कोचि में विक्री हेतु उपलब्ध हैं। भारतीय संशोधनों को <http://www.standardsbis.in> द्वारा इंटरनेट पर खरीदा जा सकता है।

जे. राय चौधरी, वैज्ञा-जी एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण – पी एवं एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./75/2020-21]

NOTIFICATION

New Delhi, the 8 June, 2020

Ref: PUB/3/4/2020-21 (18).—In pursuance of sub-rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendments to the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been issued:

THE SCHEDULE

Sl. No.	No. , Year and Title of the Indian Standards	No. and Year of the Amendment	Date of Establishment of the Amendment at column (3)	Date till which the Standard without Amendment as mentioned at Column (3) shall remain in force
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IS 4151 : 2015 Protective Helmet for Two Wheeler Riders- Specification (Fourth Revision)	Amendment No. 2 June 2020	5 June 2020	4 Sep 20

Copy of these Amendments are available for sale with the Bureau of Indian Standards ,Manak Bhavan,9 Bahadur Shah Zafar Marg ,New Delhi-110002 and Regional Offices: New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Nagpur, Kanpur, Patna,Pune,Kochi.Online purchase of Indian Amendments can be made at <http://www.standardbis.in>.

J. ROY CHOWDHURY, Sc-G & DDG(Stdn.—P & M)
[ADVT.-III/4/Exty./75/2020-21]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2020

संदर्भ: पब/3/4/2020-21 (19).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिये गये मानक (को) में संशोधन किया गया/किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष एवं शीर्षक	संशोधन की संख्या और तिथि	कॉलम (3) के संशोधन की प्रतिस्थापन तिथि	वह तिथि, जब तक मानक कॉलम (3) में दर्शाई गए संशोधन के बिना लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आई एस 2418 (भाग 1) : 2018 सामान्य प्रकाश सेवाओं के लिए प्रतिदीप्ति नलिकाकार लैंप भाग 1 सुरक्षा अपेक्षाएँ (दूसरा पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 1 जून 2020	4 जून 2020	3 जुलाई 2020
2.	आई एस 16046 (भाग 1) : 2018 अल्कलाइन या अन्य अम्ल – रहित इलेक्ट्रोलाइट्स वाली सैकेंडरी सैल और बैटरियाँ —सुवाहा अनुप्रयोग के लिए सुवाहा सीलड सैकेंडरी सैल एवं इन से बनी बैटरियों के लिए सुरक्षा अपेक्षाएँ भाग 1 निकल पद्धतियाँ (दूसरा पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 1 जून 2020	4 जून 2020	29 दिसम्बर 2020

क्रम संख्या	भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष एवं शीर्षक	संशोधन की संख्या और तिथि	कॉलम (3) के संशोधन की प्रतिस्थापन तिथि	वह तिथि, जब तक मानक कॉलम (3) में दर्शाई गए संशोधन के बिना लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	आई एस 16046 (भाग 2) : 2018 अल्कलाइन या अन्य अम्ल – रहित इलेक्ट्रोलाइट्स वाली सैकेंडरी सैल और बैटरियाँ —सुवाहा अनुप्रयोग के लिए सुवाहा सैकेंडरी सैल एवं इन से बनी बैटरियों के लिए सुरक्षा अपेक्षाएँ भाग 2 लिथियम पद्धतियाँ (दूसरा पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 1 जून 2020	4 जून 2020	29 दिसम्बर 2020

इस भारतीय संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक व्यूरों, मानक भवन, 9, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय कार्यालयों: नई दिल्ली, कोलकता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई, तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, नागपुर, कानपुर, पटना, पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। भारतीय संशोधनों को <http://www.standardsbis.in> द्वारा इंटरनेट पर खरीदा जा सकता है।

जे. राय चौधरी, वैज्ञा-जी एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण – पी एवं एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./75/2020-21]

NOTIFICATION

New Delhi, the 8 June, 2020

Ref: PUB/3/4/2020-21 (19).—In pursuance of sub-rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendments to the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been issued:

THE SCHEDULE

Sl. No.	No. , Year and Title of the Indian Standards	No. and Year of the Amendment	Date of Establishment of the Amendment at column (3)	Date till which the Standard without Amendment as mentioned at Column (3) shall remain in force
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IS 2418 (Part 1) : 2018 Tubular Fluorescent Lamps for General lighting service Part 1 Safety Requirements (Second Revision)	Amendment No. 1 June 2020	4 June 20	3 July 20
2.	IS 16046 (Part 1) : 2018 Secondary Cells and Batteries Containing Alkaline or Other Non – Acid Electrolytes – Safety Requirements for Portable Sealed Secondary Cells, and for Batteries Made From Them, for Use in Portable Applications Part 1 Nickel Systems (Second Revision)	Amendment No. 1 June 2020	4 June 20	29 Dec 2020

3.	IS 16046 (Part 2) : 2018 Secondary Cells and Batteries Containing Alkaline or Other Non – Acid Electrolytes – Safety Requirements for Portable Sealed Secondary Cells, and for Batteries made from them, for use in Portable Applications Part 2 Lithium systems (Second Revision)	Amendment No. 1 June 2020	4 June 20	29 Dec 2020
----	--	------------------------------	-----------	-------------

Copy of these Amendments are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices: New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Nagpur, Kanpur, Patna, Pune, Kochi. Online purchase of Indian Amendments can be made at <http://www.standardbis.in>.

J. ROY CHOWDHURY, Sc-G & DDG(Std.-P & M)
[ADVT.-III/4/Ext./75/2020-21]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2020

संदर्भ: पब/3/4/2020-21 (20).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिये गये मानक(को) में संशोधन किया गया/किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष एवं शीर्षक	संशोधन की संख्या और तिथि	कॉलम (3) के संशोधन की प्रतिस्थापन तिथि	वह तिथि, जब तक मानक कॉलम (3) में दर्शाई गए संशोधन के बिना लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आई एस 13428 : 2005 पैकेजबंद प्राकृतिक मिनरल जल — विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 8 जून 2020	8 जून 2020	7 सितम्बर 2020
2.	आई एस 14543 : 2016 पैकेजबंद पेय जल (पैकेजबंद प्राकृतिक मिनरल जल के अलावा) — विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 5 जून 2020	8 जून 2020	7 सितम्बर 2020
3.	आई एस 16240 : 2015 घरेलू उद्देश्य के लिए रिवर्स ओसमोसीस (आर ओ) आधारित (पी ओ यू) पानी शोधक — विशिष्टि	संशोधन संख्या 1 जून 2020	8 जून 2020	7 सितम्बर 2020

इस भारतीय संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय कार्यालयों: नई दिल्ली, कोलकता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई, तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, पटना, कानपुर, नागपुर पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। भारतीय संशोधनों को <http://www.standardsbis.in> द्वारा इंटरनेट पर खरीदा जा सकता है।

जे. राय चौधरी, वैज्ञा-जी एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण — पी एवं एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./75/2020-21]

NOTIFICATION

New Delhi, the 9 June, 2020

Ref: PUB/3/4/2020–21 (20).— In pursuance of sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendments to the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been issued:

THE SCHEDULE

Sl. No.	No. , Year and Title of the Indian Standards	No. and Year of the Amendment	Date of Establishment of the Amendment at column (3)	Date till which the Standard without Amendment as mentioned at Column (3) shall remain in force
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IS 13428 : 2005 Packaged Natural Mineral Water — Specification (Second Revision)	Amendment No.8 June 2020	8 June 2020	7 Sep 2020
2.	IS 14543 : 2016 Packaged Drinking Water (Other Than Packaged Natural Mineral Water) — Specification (Second Revision)	Amendment No.5 June 2020	8 June 2020	7 Sep 2020
3.	IS 16240 : 2015 Reverse Osmosis (RO) Based Point-of- Use (PoU) Water Treatment System — Specification	Amendment No.1 June 2020	8 June 2020	7 Sep 2020

Copy of these Amendments are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices: New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Nagpur, Kanpur, Patna, Pune, Kochi. Online purchase of Indian Amendments can be made at <http://www.standardbis.in>.

J. ROY CHOWDHURY, Sc-G & DDG(Stdn.—P & M)
[ADVT.-III/4/Exty./75/2020-21]